भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1453

जिसका उत्तर 13.02.2025 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटनाएं और सुरक्षा

1453. सुश्री सयानी घोष:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में सड़क दुर्घटनाओं के कुल कितने मामले हुए और उनमें कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या सरकार ने सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का पर्यवेक्षण करने और सड़क सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को नकदी रहित उपचार प्रदान करने के लिए प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान देश में राज्यीय राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सभी श्रेणी की सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं और सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 4,61,312 और 1,68,491 थी।

(ख) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215ख में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान है जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से संबंधित सभी पहलुओं पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जो भी मामला हो, को सलाह देगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं,

(i) मोटर वाहनों तथा इनके सुरक्षा उपकरणों के डिजाइन, भार, निर्माण, विनिर्माण प्रक्रिया, संचालन और रखरखाव के मानक;

(ii) मोटर वाहनों का पंजीकरण और लाइसेंस प्रदान करना;

(iii) सड़क सुरक्षा, सड़क अवसंरचना और यातायात नियंत्रण के लिए मानकों का निर्माण;

(iv) सड़क परिवहन परि-तंत्र के सुरक्षित और सतत् उपयोग की सुविधा;

(v) नई वाहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना;

(vi) असुरक्षित सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा;

(vii) चालकों और अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम; और

(viii) ऐसे अन्य कार्य जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

सरकार ने 3 सितंबर, 2021 को तत्संबंधी नियमों के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है।

(ग) सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकदी रहित उपचार का प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन असम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पुडुचेरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चालू हो चुका है। प्रायोगिक कार्यान्वयन के आधार पर, निम्नलिखित मुख्य बिंदु उभर कर सामने आए हैं:

• राष्ट्रव्यापी योजना के शुभारंभ से पहले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परिचालन संबंधी तैयारी, ताकि क्षेत्रीय अधिकारियों को इसके परिचालन संबंधी विवरणों से परिचित कराया जा सके,

• पीड़ितों, नेक नागरिकों (गुड समारिटन्स), पुलिस आदि को दुर्घटना स्थल के सबसे नजदीक सूचीबद्ध अस्पताल के बारे में सूचित करने की व्यवस्था,

• योजना की रूपरेखा के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए आईईसी गतिविधियाँ।

• अतिरिक्त अस्पतालों को सूचीबद्ध करना।

*****